

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

10 दिसम्बर, 2018

परिपत्र संख्या: औ.सं./21/ 2018

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ओपीडी प्रतिपूर्ति दावों के संबंध में।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ओपीडी दावों की निम्नानुसार प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिए गए हैं:-

- i) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्त वर्ष 2017-18 के लंबित ओपीडी प्रतिपूर्ति दावों को भुगतान हेतु स्वीकार किया जाएगा।
- ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 01.04.2018 से 15.05.2018 तक की अवधि के ओपीडी प्रतिपूर्ति दावों को यथानुपात आधार पर भुगतान हेतु स्वीकार किया जाएगा।
- iii) उपर्युक्त ओपीडी प्रतिपूर्ति दावों को एसटीसी परिपत्र सं.आईआर/22/2012 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मौजूदा ओपीडी सीमा के आधार पर भुगतान हेतु स्वीकार किया जाएगा।
- iv) वित्त वर्ष 2017-18 और 01.04.2018 से 15.05.2018 तक की अवधि के सभी ओपीडी दावे 31.12.2018 तक जमा किये जा सकते हैं, इसके पश्चात आगे कोई ओपीडी दावे स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(टी. केरकेटा)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

ई-मेल द्वारा

- सीएमडी के कार्यकारी सचिव
- निदेशकों/मु.स.अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त) (लेखा एवं स्थापना)
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट

प्रतिलिपि (इन्हें भी) : एसटीसी भूतपूर्व कर्मचारी कल्याण संघ, जीडी-107, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

December 10, 2018

Circular No: IR/21/2018

Subject: Regarding OPD reimbursement claims pending for retired employees

It has been decided to reimburse pending OPD claims to retired employees as under:

- i) The pending OPD reimbursement claims of retired employees for Financial Year (F.Y) 2017-18 shall be admitted for payment.
- ii) The OPD reimbursement claims of retired employees for the period 01.04.2018 to 15.05.2018 shall be admitted for payment on pro-rata basis.
- iii) The above OPD reimbursement claims shall be admitted for payment based on OPD ceiling limits prevailing for retired employees as per STC Circular no. IR/22/2012 dated 05.07.2012.
- iv) All OPD claims for F.Y 2017-18 and for the period 01.04.2018 to 15.05.2018 may be submitted on or before 31.12.2018, after which no further OPD claims will be entertained.

This issues with the approval of the Competent Authority.



(T. Kerketta)

General Manager (Pers.)

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

Copy to

- JGM(F)(A&E)
- Notice Board
- Website

Copy also to: STC Ex-employees Welfare Association, GD-107, Pitampura, Delhi-110034.